तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	श्री बनाम श्रीमिमानी तहसीलदार द्वारा मूल – 236/2016	
27-7-21	पत्रजाई तारीख पेशी देने पर आज पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27-9-21 को पेश हो।	
27-9-21	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकरान उपस्थित। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से रिपोर्ट अप्राप्त। पत्रावली बइन्तजार रिपोर्ट दिनांक 11-11-21 को पेश हो। दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	
11.11.2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत– सांवलपुरा तंवरान् में पेश हुई। वकील वादीगण मय पक्षकारान् उपस्थित। ग्राम पचायंत– सांवलपुरा तंवरान में आयोजित शिविर में उपस्थित वादीगण संख्या 2 व 7 की पहचान श्री मामराज गूर्जर, सरपंच, ग्राम पंचायत सांवनपुरा तंवरान् के द्वारा की गई। वकील वादीगण एंव पक्षकारान् ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। वकील वादीगण एंव पक्षकारान् के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील वादीगण एकपक्षीय सुनी गई। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 11.11.2021 को ग्राम पंचायत– सांवलपुरा तंवरान में आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के मजमे आम में सुनाया गया। 11/11/21 (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्पः– [redacted] सांवलपुरा तंवरान्	गोठूराम किशनसहाय पहचानकर्ता 11/11/21 (मामराज गुर्जर) सरपंच ग्राम पंचायत सांवलपुरा तंवरान प. स. अजीतगढ़ (सीकर) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.07 16:48:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
236 / 2016			
बी0टी0नं. 537 / 2017	2017 / 0279	20.09.2016	11.11.2021

उनवान

1. बंशी पुत्र स्वर्गीय नानगा आयु 42 वर्ष
2. गंगू पुत्र स्वर्गीय नानगा आयु 45 वर्ष
3. सारली पत्नि स्वर्गीय नानगा आयु 75 वर्ष
4. मिश्री पुत्री स्वर्गीय नानगा आयु 60 वर्ष
5. धोली पुत्री स्वर्गीय नानगा आयु 55 वर्ष
6. सायरी पुत्री स्वर्गीय नानगा आयु 50 वर्ष
7. कृष्ण पुत्र स्वर्गीय मांगू आयु 37 वर्ष
8. ग्यारसीलाल पुत्र स्वर्गीय मांगू आयु 25 वर्ष
9. छोटू पुत्र स्वर्गीय मांगू आयु 35 वर्ष
10. जड़ावली पत्नि स्वर्गीय मांगू आयु 60 वर्ष
11. संती पुत्री स्वर्गीय मांगू आयु 40 वर्ष
12. सुमन पुत्री स्वर्गीय मांगू आयु 30 वर्ष

समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ढ़ाणी लोहिया की तन् चूड़ला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

वादीगण

बनाम्

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर सीकर (राज0)

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.07 16:08:36 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित–

दिलीप सिंह
पीठासीन अधिकारी
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 वादीगण अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी नं. 1

<u>वादपत्र बाबत ईस्तकरार हक, दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 243 रकबा 0.79 हैक्टर, 244 रकबा 0.84 हैक्टर तन् ग्राम अविनाशी पटवार हल्का सांवलपुरा तंवरान् तहसील नीमकाथाना हाल तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित हैं जिसके पुराने खसरा नम्बर 151 मिन तन् ग्राम सांवलपुरा तंवरान तहसील नीमकाथाना रहे है। उक्त भूमि की खातेदारी पूर्व में वादीगण के दादा ससुर भागीरथ पुत्र जीता गूर्जर के नाम 5 बीघा पक्की भूमि तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा दिनांक 27.02.1968 को एलाटमेन्ट की जाकर खातेदारी विधिवत रूपेण प्रदान की जा चुकी थी जो जमाबन्दी सम्वत् 2043 से 2046 तक खातेदारी भागीरथ पुत्र जैता गूर्जर के नाम रही है। भागीरथ पुत्र जैता के नाऔलाद फौत होने पर उसके भाई नानगा व मांगू के नाम नामान्तकरण संख्या 292 के द्वारा नानगा, मांगू पिता व पति वादीगण के नाम दर्ज होकर लगातार जमाबन्दी सम्वत् 2055 से 2058 पुराने खसरा नम्बर 151 मिन रकबा 1.27 हैक्टर की जमाबन्दी में खातेदारी नानगा, मांगू पिता जीता गूर्जर के नाम दर्ज रही है जिसे बिना किसी सुनवाई व बिना किसी हक अधिकारी के राजस्व कर्मचारियों सैटलमेंट अधिकारीयों द्वारा गलत रूप से गफलत एंव लापरवाही करते हुए उक्त भूमि को सिवायचक नाकाबिल काश्त बजंड जोहड़ (सरकारी भूमि) दर्ज कर दी गई है जबकि उक्त भूमि पर सदैव से वादीगण के पिता व पति क्रमशः नानगा व मांगू काबिज होकर खातेदार काश्तकार रहे है तथा इनकी मृत्यु के पश्चात् वादीगण नानगा के वारिसान् नम्बर 1 ता 6 हिस्सा 1/2 पर वादीगण के मांगू के वारिसान् नम्बर 7 ता 12 भी हिस्से 1/2 पर पूर्णतया काबिज काश्त चले आ रहे है। इसी अनुसार वादीगण अपने नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है। नवीन सैटलमेंट द्वारा वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि के नये खसरा नम्बर 244 रकबा 0.84 हैक्टर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 243 रकबा 0.79 हैक्टर में से 0.43 हैक्टर दक्षिणी तरफ का इस प्रकार कुल किता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.07 16:08:36 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

2 कुल रकबा 1.27 हैक्टर पर वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त भूमि की खातेदारी में वादीगण का नाम दर्ज नहीं होने से वादीगण सरकारी सुविधाओं से, महरूम हो रहे है। राजस्व रिकार्ड में सहवन से सिवायचक नाकाबिल काश्त बंजड़ जोहड़ दूसरे सैटलमेंट के दौरान गलत रूप से दर्ज किया गया है। उक्त भूमि अॅलाटमेंट होकर खातेदारी दर्ज होने से लगातार वादीगण के बुर्जुगान काबिज काश्त रहे है। उक्त भूमि कभी भी सिवायचक नाकाबिले काश्त बजंड जोहड़ नहीं रही है बल्कि उस भूमि पर वादीगण के बुर्जुगान के स्वामित्व, नियंत्रण अधिकार में बईल्म आगाही रही है। जिस पर वर्तमान में वादीगण काबिज काश्त है एंव वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज किया जाना न्यायोचित है। वादीगण ने हल्का पटवारी व तहसीलदार श्रीमाधोपुर को उक्त भूमि के गलत रिकार्ड की जानकारी होने पर गलत रिकार्ड को खातेदारी में सही दर्ज किये जाने बाबत कहे जाने पर दुरूस्ती से इन्कार होने पर प्रतिवादीगण को 80 सीपीसी का 2 माह का रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 13.7.2016 को दिया गया है। उक्त नोटिस की मियाद पूर्ण होने पर पर अब तक भी वादीगण के नाम उक्त भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने पर वादकारण पैदा होकर इसी कारण बिनाय दावा उत्पन्न होकर वादी को यह वादपत्र अदालत हाजा में पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा प्रस्तुत कर दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न रूपेण डिक्री फरमाया जावें–कि घोषणा इस आशय की फरमायी जावे कि तन् ग्राम अविनाशी पटवार हल्का सांवलपुरा तंवरान तहसील नीमकाथाना हाल तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) के भूमि खसरा नम्बर 244 रकबा 0.84 हैक्टर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 243 रकबा 0.79 हैक्टर में से 0.43 हैक्टर दक्षिणी तरफ का इस प्रकार कुल किता 2 कुल रकबा 1.27 हैक्टर की खातेदारी वादीगण नम्बर 1 ता 6 के नाम 1/2 हिस्सा की खातेदारी बहिस्सा बराबर तथा वादीगण नम्बर 7 ता 12 के नाम 1/2 हिस्सा की खातेदारी बहिस्सा बराबर दर्ज किये जाने की घोषणा फरमायी जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाये जाने का निवेदन किया गया है।

इस बाबत एक वादपत्र जरिये वकील श्री कमल कुंमार शर्मा एड0 द्वारा पेश किया गया। जिस पर वादीगण के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट ली गई। जिस पर प्रतिवादी सं0 1 तहसीलदार श्रीमाधोपुर की ओर से पटवारी हल्का सांवलपुरा तंवरान् ने दौराने शिविर ही वादपत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.07 16:08:36 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

रिपोर्ट पेश करते हुए वादग्रस्त आराजी पर वादीगण के काबिज काश्त होने बाबत अवगत कराया। ग्राम पंचायत सांवलपुरा तंवरान् के मजमे–ए–आम में वादीगण में से उपस्थित वादीगण नं. 2 गंगूराम व वादी नं. 7 कृष्ण गूर्जर ने पटवारी रिपोर्ट से अपनी सहमति व्यक्त करते हुए वादपत्र को स्वीकार करते हुए वादीगण के नाम खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने बाबत डिक्री किये जाने का निवेदन वकील वादीगण के द्वारा किया गया। उपस्थित वादीगण की पहचान श्री मामराज सरपंच, ग्राम पंचायत सांवलपुरा तँवरान के द्वारा की गई तथा वादीगण ने दौराने शिविर ही आदेशिका पर सहमति बतौर अपने हस्ताक्षर अंकित किये है।

प्रकरण में हमने वकील वादीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त राजस्व रिकार्ड एंव दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071, 2055–2058, 2051–2054, 2047–2050, 2043–2046 की जमाबंदीयों, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी नकल मिलान क्षेत्रफल, अनाधिकृत भूमि के एलाटमेंट का आज्ञा पत्र, पटवारी हल्का की रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस नया व पुराना इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादीगण के दादा–ससुर भागीरथ पुत्र जीता गूर्जर के नाम दिनांक 27.02.1968 को एलाटमेंट होकर जमाबन्दी सम्वत् 2043 से 2046 तक खातेदारी भागीरथ पुत्र जीता गूर्जर के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। भागीरथ पुत्र जीता के नाऔलाद फौत होने पर उसके भाई नानगा व मांगू के नाम नामान्तकरण संख्या 292 के द्वारा नानगा, मांगू पिता व पति वादीगण के नाम दर्ज होकर जमाबन्दी सम्वत् 2055 से 2058 पुराने खसरा नम्बर 151 मिन रकबा 1.27 हैक्टर की जमाबन्दी में खातेदारी नानगा, मांगू पिता जीता कौम गूर्जर के नाम अंकित होना प्रकट होता है। प्रकरण में उपस्थित पक्षकारान् के द्वारा सहमति व्यक्त करने से उक्त वादपत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोंचित प्रतित होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.07 16:08:36 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपयुर्क्त [illegible] बाबत ईस्तकरारहक, दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार [illegible] जाता है तथा कृषि भूमि अवस्थित तन् ग्राम अविनाशी पटवार हल्का सांवलपुरा तंवरान तहसील [illegible]मकाथाना हाल तहसील श्रीमाधोपुर

(दिलीप सिंह)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

जिला सीकर (राज0) के भूमि खसरा नम्बर 244 रकबा 0.84 हैक्टर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 243 रकबा 0.79 हैक्टर में से 0.43 हैक्टर दक्षिणी तरफ का इस प्रकार कुल किता 02 कुल रकबा 1.27 हैक्टर में वादीगण नम्बर 1 ता 6 के नाम 1/2 हिस्सा की खातेदारी बहिस्सा बराबर तथा वादीगण नम्बर 7 ता 12 के नाम 1/2 हिस्सा की खातेदारी बहिस्सा बराबर दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है तथा तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एंव उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे । इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

11/11/21

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः– सांवलपुरा तंवरान

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 11.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायतः– सांवलपुरा तंवरान के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

11/11/21

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः– सांवलपुरा तंवरान

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.07 16:08:36 IST
Reason: SelfAttested